मधुबन बापूधाम आवासीय योजना

साकार करेगी दुर्बल आय वर्ग के लोगों का सपना

पंजीकरण
07 जनवरी, 2019 से
05 फरवरी, 2019 तक

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

की मधुबन बापूधाम आवासीय योजना में चार मंजिला

दुर्बल आय वर्ग भवनों की योजना

ऑनलाईन पंजीकरण हेतु

एक सुन्दर शहर, हमारा संकल्प

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद–201 001 (उ.प्र.)

GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY
GHAZIABAD 201001 (U.P.)

1.00 योजना का नाम

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की मधुबन बापू धाम में दुर्बल आय वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) भवनों के आवंटन हेतु पंजीकरण

2.00 योजना का कोड

मधुबन बापूधाम EWS	859

3.00 योजना का विवरण

3.10 स्थिति

उक्त योजना प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में स्थित है।

3.20 भवनों का अनुमानित क्षेत्रफल

भवनों का क्षेत्रफल पृष्ठ 10 पर तालिका संख्या 1 के कॉलम सं. 6 में दर्शाया गया है।

3.30 भवनों की अनुमानित संख्या

भवनों की संख्या का विवरण पृष्ठ 10 पर तालिका संख्या–1 के कॉलम संख्या 10 में दर्शाया गया है। भवनों की संख्या में बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन किया जा सकता है।

3.40 भवनों का अनुमानित मूल्य

भवनों का अनुमानित मूल्य पृष्ठ 10 पर तालिका संख्या 1 के कॉलम संख्या 7 में दर्शाया गया है।

4.00 ग्राह्यता

4.10 आवेदक भारत का नागरिक हो।

4.20 योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि पर आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो।

4.30 आवेदक या उसके परिवार (परिवार का तात्पर्य आवेदक, उसके पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चों से है) के पास प्रश्नगत अभिकरण के विकास क्षेत्र में विकास प्राधिकरण, आवास–विकास, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कॉलोनियों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत कोई अपना भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए तथा उत्तर प्रदेश के अन्य

1.00 SCHEME NAME

Registration for allotment in Residential Scheme at Madhuban Bapudham EWS of Ghaziabad Development Authority.

2.00 THE SCHEME CODE

Madhuban Bapudham EWS	859

3.00 DETAILS OF SCHEME

3.10 LOCATION

These schemes are situated in the development area of the authority.

3.20 ESTIMATED AREA OF FLATS

Details of area of flats are given in page no. 10, col. No. 6 table No. 1.

3.30 ESTIMATED NUMBER OF FLATS

Details of No. of flats are given in page no. 10, col. 10 of Table No. 1. Number of flats can be changed without any prior information.

3.40 ESTIMATED COST OF FLATS

Estimated cost of Flats are given in page no. 10, col. no. 7 of table no. 1.

4.00 ELIGIBILITY

4.10 The applicant must be a citizen of India.

4.20 Applicant should not to less then 18 years on the last date of submission of application form.

4.30 The applicant or his/her family (family means applicant, his wife/her husband and minor children) must not own any residential plot/house in any colony developed by Development Authority, Housing Board, Improvement Trust, any

किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों द्वारा विकसित कॉलोनियों में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए।

4.40 जिन व्यक्तियों ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पहले से ही पंजीकरण करवाया हुआ है, तथा अभी आवंटन नहीं हुआ है ऐसे व्यक्ति भी निर्धारित पंजीकरण शुल्क जमा करा कर आवेदन कर सकते हैं किन्तु उन्हें इस योजना के अंतर्गत अन्य लोगों के समकक्ष ही माना जायेगा। ऐसे आवेदकों को अपने पूर्व पंजीकरण व योजनाओं का स्पस्ट उल्लेख आवेदन में करना होगा।

4.50 यदि किसी व्यक्ति (व्यक्ति विशेष) अथवा परिवार के आश्रित सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य का एक से ज्यादा योजना में आवंटन हो जाता है तो वह व्यक्ति आवंटित सम्पत्ति में से मात्र एक सम्पत्ति को ही रख सकता है, अन्य आवंटित सम्पत्तियों के विरूद्ध जमा धनराशि बिना किसी कटौती के वापिस कर दी जायेगी।

5.00 आवेदन कैसे करें

योजना के आवेदन पत्र विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.gdaghaziabad.com में दिये गये लिंक जनहित गांरटी (https:// janhit. upda.in) पर आनलाईन भरे जायेगें तथा आवेदन पत्र की कीमत रु. 300/– ऑनलाईन भुगतान एच.डी.एफ.सी. बैंक, डी–44, आर.डी.सी. राजनगर, गाजियाबाद के माध्यम से किया जायेगा।

5.10 अपूर्ण अथवा गलत भरे गये आवेदन पत्र बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिये जायेंगे।

6.00 पंजीकरण राशि एवं पंजीकरण शुल्क

तालिका–1 के कालम संख्या 8 व 9 में दर्शायी गई धनराशि का भुगतान आवेदन पत्र के साथ अनुच्छेद 5.00 में वर्णित बैंक एच.डी.एफ.सी बैंक के माध्यम से ऑनलाईन जमा करना होगा। पंजीकरण राशि के साथ रू0 50/– पंजीकरण शुल्क तालिका 1 के कालम 8, 9 में सम्मिलित है रू0 50/–पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापिस नहीं होगा।

6.10 आवंटन धनराशि

लॉटरी ड्रॉ के आधार पर सफल आवेदकों को आवंटित भवन के अनुमानित मूल्य का 20 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 2 माह की अवधि के अन्दर ऑन लाईन अथवा पे–आर्डर/बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करानी होगी, जिसमें आवेदन पत्र के साथ जमा की गई पंजीकरण राशि (पंजीकरण शुल्क रु. 50/– को छोड़कर) समायोजित कर ली जायेगी।

local body, co-operative society within National Capital Region. He/she must also not hold more than one plot/house developed by above said bodies in any other city/town of U.P.

4.40 Persons who are already registered with the G.D.A. under its schemes may also apply under Ibis scheme by paying registration amount, such applicants will be considered at par with others in this scheme. These applicants must clearly mention their old registration number and scheme details.

4.50 If a person or his/her family gets allotment in more than one scheme, he/she will get full refund of the money deposited for all other properties without any deduction except one which he/she wants to retain.

5.00 HOW TO APPLY

The application form is to be filled and submitted online on website **www.gdaghaziabad.com**, on Janhit Garantntee (https:// janhit. upda.in) the cost of the form will be Rs. 300/- and it will be paid through HDFC Bank D- 44, RDC, Rajnagar, Ghaziabad.

5.10 Incomplete or incorrect application forms will be cancelled without making any reference or intimation to the applicant.

6.00 REGISTRATION AMOUNT AND REGISTRATION FEE

The amount shown in Table No. 1 Column 8 & 9 has to be submitted by way of the filled application form. Through HDFC Bank, Registration amount of Rs. 50/- is included in the figure shown in table one column 8 and 9. Registration amount is non refundable.

6.10 ALLOTMENT AMOUNT

Successful candidates in lottery draw will have to deposit 20% of the cost of the flat, in cash or Bank draft, within two month from the date of issue of allotment letter. The registration amount (excluding registration fee Rs. 50/-) paid at the time of registration will be adjusted .

6.20 किश्तें

आवंटन पत्र जारी होने के उपरांत शेष 80 प्रतिशत धनराशि 80 तिमाही किश्तों में 7.5 प्रतिशत ब्याज सहित देय होगी। ब्याज को किश्तों में जोड़कर भुगतान विवरण तैयार किया जाएगा। ब्याज की गणना रुपए के निकटतम पूर्णांक में होगी। किश्तों से संबंधित धनराशि नगद/बैंक ड्राफ्ट द्वारा विजया बैंक, नवयुग मार्केट, पी.एन.बी, अम्बेडकर रोड़, मोहन नगर एवम् ओ.बी.सी., लोहिया नगर, एच.डी.एफ.सी. बैंक में किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक बैंक में उपलब्ध निर्धारित चालान फार्म पर जमा किया जा सकता है। एवं प्राधिकरण की वेब साईट **www.gdaghaziabad.com** पर भी जमा की जा सकती है ड्राफ्ट **उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय गाजियाबाद** में भुगतान योग्य होना चाहिए। किसी भी दशा में चैक स्वीकार नहीं किया जाएगा।

6.30 आवंटन राशि/किश्तों के भुगतान हेतु देय राशि की निर्धारित तिथि के बाद एक माह की अनुग्रह अवधि दी जाएगी तथापि यदि देय तिथि को किश्त की किसी भी पिछली धनराशि का भुगतान शेष रहता है तो अग्रिम किश्त पर कोई अनुग्रह अवधि नहीं दी जाएगी तथा भुगतान की मूल देय तिथि से 10.5 प्रतिशत दण्ड ब्याज का भुगतान करना होगा।

6.40 एकमुश्त भुगतान पर छूट

आवंटी द्वारा भवन की कुल कीमत का आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिनों में अवशेष धनराशि एकमुश्त भुगतान करने पर भवन के कुल मूल्य पर 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी ।

6.50 पैनल ब्याज

यदि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को देय धनराशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं किया जाता है तो 10.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से पैनल ब्याज सहित देय राशि का भुगतान करना होगा। पैनल ब्याज की गणना प्रतिदिन के हिसाब से की जाएगी।

7.00 समर्पण/निरस्तीकरण

7.10 सामान्य परिस्थिति में लॉटरी ड्रॉ से पूर्व पंजीकरण धनराशि वापस नहीं की जायेगी। ड्रॉ से पूर्व पंजीकरण धनराशि वापसी के संबंध में **उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण** का निर्णय अंतिम होगा।

7.20 यदि किसी आवेदक द्वारा आवंटित भवन का समर्पण आवंटन तिथि के 6 माह के अंदर किया जाता है तथा नियम व शर्तों का उल्लंघन नहीं करता है, तो उस स्थिति में पंजीकरण राशि की 10 प्रतिशत धनराशि कटौती कर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी। धनराशि वापसी हेतु समस्त मूल प्रपत्र व मूल रसीद देनी होगी।

6.20 INSTALMENTS

After the allotment, balance 80% amount shall be payable in 80 quarterly instalments with 7.5% interest. The instalments shall be fixed including the interest . Interest shall be calculated in round figure. Instalments can be deposited On-line GDA Web Site **www.gdaghaziabad.com** & PNB Mohan Nagar, Ambedkar Road, Indirapuram, OBC Bank Lohiya Nagar in any branches of **ICICI Bank,** or branches of **Vijaya Bank,** Navyug Market, HDFC Bank D-44 RDC, Raj nagar on any working day during 10 am to 2 pm on prescribed challan from the bank. Bank Draft/payorder must be in favour of **Vice-Chairman, G.D.A. payable at Ghaziabad** Payment made through cheque will not be accepted.

6.30 Grace period of one month shall be given for payment of allotment amount/instalments after the due date. However, if any previous amount of instalment stands unpaid on the due date, no grace period will be admissible on the current instalment. If the payment is made after grace period, 10.5% interest shall be payable w.e.f. the original due date of payment. Grace period is allowed only for the installments. Applications for extension of time for payment of allotment and installments amount shall not be entertained.

6.40 ONE TIME PAYMENT DISCOUNT

5% discount will be given in case the balance payment is made within 60 days from the issuing date of the allotment letter. This facility will not be applicable in case of any late payment

6.50 PANEL INTEREST

If the amount payable to Ghaziabad Development Authority is not paid within time, penal interest @ 10.5% per annum shall be payable along with the payable amount. Panel interest will be calculated on day basis.

7.00 SURRENDER/CANCELLATION

7.10 In normal circumstance the registration amount will not be refunded before lottery draw. For refund For refund of registration amount before the draw of lottery, the decision of **Vice Chairman, GDA,** will be final.

7.20 If any applicant surrenders the allotted flat within 6 months of allotment and he/she is not a defaulter on account of any breach of any terms and conditions, then 10% of the registration amount shall be forfeited and the balance amounts shall be refunded without any interest. All original documents and receipt will have to be submitted for refund.

7.30 यदि किसी आवेदक द्वारा आवंटित भवन का समर्पण आवंटन तिथि के 6 माह के अन्दर किया जाता है परन्तु आरक्षण राशि व देय किश्त जमा नहीं करता है अथवा किसी अन्य नियम व शर्तों के उल्लंघन के आधार पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया जाता है तो पंजीकरण राशि की 25 प्रतिशत धनराशि जब्त कर ली जायेगी और शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

7.30 If any applicant surrenders the allotted flat within 6 months of allotment but does not pay allotment money and due installment amount or breaches any term & conditions or his allotments is cancelled by G.D.A. on account of any breach of any terms and conditions, then 25% of the allotment amount shall be forfeited and the balance amount shall be refunded without any interest

7.40 आवंटन तिथि से 6 माह के पश्चात किसी भी प्रकार के समर्पण/निरस्तीकरण की दशा में सम्पूर्ण पंजीकरण धनराशि जब्त कर ली जाएगी और शेष धनराशि यदि कोई हो तो बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।

7.40 In case of any surrender/cancellation after 6 months from the date of allotment, the whole of registration money shall be forfeited and balance amount, if any, shall be refunded without interest.

7.50 यदि आवंटी कब्जे की निर्धारित तिथि तक भवन का कब्जा नहीं लेता है तो रु. 800/– प्रतिमाह चौकीदारी शुल्क देय होगा तथा प्रत्येक वर्ष इस शुल्क में 01 अप्रैल से 10 प्रतिशत की स्वतः बढ़ोतरी की जाती रहेगी एवं 3 माह तक कब्जा न लेने पर आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा एवं धारा 7.40 के अनुसार कटौती कर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

7.50 If the allottee does not take the possession of the flat on due date, Chowkidari charge @ Rs. 800/- per month shall be charged and will be increased automatically by 10% every year from 01 April. In case the possession is not taken till three months from the due date, allotment shall be cancelled and action shall be taken as per clause 7.40 and balance amount would be refunded without interest.

7.60 भुगतान विवरण के अनुसार 3 त्रैमासिक किश्तें लगातार अदा न करने पर भवन का नियमानुसार आवंटन निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण को होगा।

7.60 The authority shall have the right to cancel the allotment of flat as per rule if there is default in payment of three consecutive instalments according to the payment schedule.

8.00 आय कोड

दुर्बल आय वर्गो हेतु आवेदक के परिवार की वार्षिक आय समस्त स्रोतो से रु. 3,00.000 से अधिक नहीं होनी चाहिए आय कोड 04 है। आवेदक द्वारा आवेदन के समय आय प्रमाण पत्र वैद्य होना चाहिए।

8.00 INCOME CODE

This Scheme EWS Flats maximum Income 3.00 lac for all sources of the family Income code is 04 applicant required Income certificate at time of submission.

9.00 कोटा

9.10 शासनादेश के अनुसार निम्नानुसार आरक्षण की सुविधा दी जायेगी।

9.00 QUOTA

9.10 As per Govt. order reservation facility will be given in following way:

क्र.सं.	श्रेणी	कोड	प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति	02	21%
2.	अनुसूचित जन जाति	03	2%
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	04	27%
4.	रक्षा कार्मिक एवं सरकारी कर्मचारी जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक हो		
	(क) रक्षा कार्मिक	05	5%
	(ख) सरकारी कर्मचारी	06	
5	(क) स्वतंत्रता सेनानी	08	5%
	(ख) संसद सदस्य, विधानसभा/ विधान परिषद सदस्य	09	
6.	(क) उ.प्र. विकास प्राधिकरर्ण कर्मच	10	2%
	(ख) सिटी बोर्ड कर्मचारी	11	
	(ग) उ.प्र. नगर निगम कर्मचारी	12	
	(घ) उ.प्र. जल संस्थान कर्मचारी	13	
	(ड) उ.प्र. हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी	14	
	(च) उ.प्र. नगर एव ंग्रम नियोजा के कर्मचारी (उ.प्र. नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के वे कर्मचारी सम्मिलित होंगे जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो)	15	
	(छ) आवास बन्धु उ.प्र. कर्मचारी (आवास बन्धु उ.प्र. के वे कर्मचारी सम्मिलित होंगे जिन्होंने कम से कम 2 वर्ष निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो)	16	
7.	भूतपूर्व सैनिक एवं उनके आश्रित	17	3%

9.20 क्षैतिज आरक्षण

1. विकलांग आवदेकों को शासनादेश सं. 786/8–1–08–25 विविध/07 दिनाकं 30.01.2008 एव 3645/8–1–2011–25 विविध/07 दिनांक 19.12.2011 के अनुसार कुल घोषित भवनों की संख्या का 3 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। विकलांग आवेदकों को विकलांग होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
2. वरिष्ठ नागरिकों को कुल घोषित भवनों की संख्या का 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को वरिष्ठ नागरिक होने से संबंधी आयु प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा एवं आवेदन पत्र में आरक्षित कोटा कोड भी भरना अनिवार्य होगा। वरिष्ठ नागरिक से तात्पर्य यह है कि योजना प्रारंभ होने की तिथि को उसकी आयु 60 वर्ष से कम न हो।

S.No.	Quota Description	Code	Percentage
1.	Scheduled Caste	02	21%
2.	Scheduled Tribe	03	2%
3.	Other Backward Class	04	27%
4.	Defence Persons, Persons in Govt. Service who have Attained the age of 50 years.		
	(a) Defence Persons	05	5%
	(b) Persons in Govt. Servic	06	
5.	(a) Freedom Fighters	08	5%
	(b) MP/MLA/MLC	09	
6.	(a) U.P. Development Authority Employees	10	2%
	(b) U.P. Municipality/City Board Employees	11	
	(c) U.P. Nagar Nigam Employees	12	
	(d) U.P. Jal Sansthan Employees	13	
	(e) U.P. Jal Sansthan Employees	14	
	(f) U.P. City Village planning's Employees (Those employees of U.P. 15 City& Village planning Department, who have nished minimum 10 years In regular service will be included.)	15	
	(g) Awas Bandhu of U.P. Employees (Those employees of Awas Bandhu of U.P. who have nished minimum 2 years in regular service will be included.)	16	
7.	Ex-Servicemen and their dependents	17	3%

9.20 Horizontal Reservation

1. As per GO No. 786/8-1-08-25 vividh/07 dated 30.01.2008 and GO No. 3645/8-1-2011-25 vividh/07 dated 19.12.2011, handicapped applicants will be given 3% horizontal reservation of total flats. Such applicants are required to produce certificated of their being handicapped.
2. Senior citizens will also get 10% horizontal reservation of total declared flats. Such applicants are required to produce age certificate with regard to senior citizen and enter quota code in application form. Senior citizen implies those applicants who are not below 60 years on the date of start of scheme.

9.30 विकलांग अथवा वरिष्ठ नागरिक होने का सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र संलग्न न किये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा और ड्रा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

9.30 In case the applicant fails to produce 'handicapped' or 'Senior citizen' certificate and other required documents issued by competent authority, the application will be declared invalid.

10.00 सामान्य आवेदक

आरक्षित श्रेणी के आवंटन के पश्चात शेष भवनों का आवंटन सामान्य श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत आवेदकों के मध्य नियम 11.00 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदक अपने आवेदन पत्र की मद संख्या 14 के अंतर्गत कोड 01 भरें।

10.00 GENERAL APPLICANTS

After allotment of reserved category, remaining flats shall be allotted to the persons registered under general category as per provision of point 11.00 of brochure. Applicants applyingunder general category should fill 01 as quota code in their applications against item No. 14 of the application form.

11.00 ड्रा प्रक्रिया

11.10 योजना का लॉटरी ड्रॉ लगभग छः माह में किया जाना प्रस्तावित है।

11.20 योजना के ड्रा के समय उपस्थित रहने के इच्छुक आवेदकों की उपस्थिति में मैन्यूअल प्रक्रिया द्वारा ड्रॉ निकालकर भवन का आवंटन किया जाएगा। लाटरी की तिथि एवं स्थान की सूचना व्यक्ति विशेष को अलग से नहीं दी जायेगी। उक्त सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों/वेबसाइट के माध्यम से किया जाएगा। किसी भी आवेदक द्वारा किसी भवन विशेष हेतु कोई भी दावा स्वीकार नहीं होगा।

11.00 DRAW PROCEDURE

11.10 Lottery Draw of the scheme is proposed within six months.

11.20 The reservation/allotment fo flat will be made by a manual draw in the presence of the applicants, who wish to be present. No information regarding date and place for lottery shall be given individually, This information shall be published in the newspaper/on website. No request for specific flat by any applicant shall be entertained.

12.00 असफल आवेदक

12.10 जिन आवेदकों को भवन आवंटित नहीं हो पाते हैं और जिनकी जमा राशि एक वर्ष से कम अवधि के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पास जमा है उन्हें पंजीकरण राशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जाएगी।

12.20 यदि प्राधिकरण द्वारा इस योजना का ड्रा पंजीकरण की अंतिम तिथि के एक वर्ष के अन्दर कर लिया जाता है तो जमा पंजीकरण राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि ड्रा एक वर्ष पश्चात किया जाता है तो पंजीकरण की अन्तिम तिथि से ड्रा की तिथि तक 3.5 प्रतिशत साधारण ब्याज देय होगा।

12.30 असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि आवेदक के बैंक खाते में एक माह के बाद ऑनलाईन अथवा बैंक ड्राफ्ट/चेक द्वारा संबंधित बैंक की नोडल शाखा के माध्यम से वापस कर दी जाएगी।

12.00 UNSUCCESSFUL APPLICANTS

12.10 With regard to the unsuccessful applicants whose deposit is lying with GDA for less than 1 year, the amount will be refunded without interest.

12.20 If the draw is held within 1 year, no interest on deposit will be given. In case the draw is held after 1 year from the start of the scheme, 3.5% simple iInterest from the last date of registration will be given.

12.30 The registration amount shall be refunded after one month of draw online by nodal branches through Draft/Cheque or Online in unsuccessful applicants account.

13.00 मिथ्या अभ्यावेदन अथवा तथ्यों का छुपाना

यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा गलत सूचनाएं दी गई है अथवा उसने किन्ही वास्तविक तथ्यों को छुपाया है तो पंजीकरण के साथ–साथ भवन का आवंटन आवेदक को बिना बताये निरस्त कर दिया जाएगा तथा उसे भविष्य में होने वाले ड्रा से वंचित कर दिया जाएगा एवं पंजीकरण राशि को जब्त कर लिया जाएगा।

13.00 REPRESENTAT1ON OR SUPPRESSION OF FACTS

If it is found that the applicant has given incorrect information or suppressed any material fact, the allotment will be cancelled without any communication to the applicant and he/she will be debarred from participating in future draws. Further his/her registration amount shall be forfeited.

14.00 कब्जा

इस योजना में भवन का कब्जा निर्धारित मुल्य का 20 प्रतिशत धनराशि एवं लीज किराया जमा कराने के उपरान्त अनुबन्ध–विलेख पंजीयन के बाद दिया जायेगा। जिसका व्यय आवंटी द्वारा वहन किया जायेगा।

14.10 आवंटी को समय समय पर लागू होने वाले समस्त म्यूनिसिपल कर एवं अन्य कर जो स्थानीय निकाय या भरत सरकार/उ.प्र. सरकार द्वारा नियम एवं उपनियम के अंतर्गत लगाये जाते है, का भुगतान कब्जा लेने की तिथि से समय पर जमा करना होगा।

14.20 आवंटी विद्युत कनेक्शन व पानी का कनेक्शन सम्बंधित विभागों से अपने खर्चे पर स्वयं लेगा।

15.00 पट्टा विलेख

आवंटी को समस्त मूल्य जमा कराने के उपरान्त 3 महीने के अंदर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराकर अपने खर्चे पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप में पट्टा विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा तत्समय की गई दण्डात्मक कार्यवाही आवंटी को मान्य होगी।

16.00 भवनों का प्रयोग

आवंटी द्वारा भवनों का प्रयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा।

17.00 अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं

17.10 आवंटन तक इस योजना की किसी भी शर्त में संशोधन का अधिकार उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को होगा तथा ऐसे संशोधन आवेदकों/ आवंटियों को मान्य होंगे।

17.20 तालिका 1 में दर्शाये गये भवनों के क्षेत्रफल में परिवर्तन हो सकता हैं। योजना के कब्जा के समय भवनों के क्षेत्रफल में परिवर्तन संभव है जो कि अंतिम रूप से बाद में सूचित किया जाएगा जिसे आवंटी को स्वीकार करना होगा तथा उसके अनुसार भुगतान करना होगा।

17.30 इस योजना से संबधित प्रत्येक मामले पर उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

17.40 किसी भी विवाद की दशा में न्यायालय गाजियाबाद को ही अधिकार क्षेत्र प्राप्त होगा।

उपाध्यक्ष
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

14.00 POSSESSION

Possession of the houses shall be given to the allottee on the payment of 20% of the premium of houses, leaserent and registration of agreement deed by him/her. The cost of sale or agreement deed shall be bome by the allottee.

14.10 Allottee shall pay all the municipal taxes and any other taxes which may be charged by Central Government or UP Govt. any local bodies from time to time according to laws and bye-laws from the date of possession.

14.20 Allottee, himself/herself, will apply for the electricity/ water connection to the concerned department at his/her own expenses.

15.00 LEASE DEED

Allottee, at his her own cost must complete all all formalities and get the lease deed executet and registered in proforma prescribed by the Authority, within three months of paying full cost of the property otherwise allottee will face penal proceeding as per Laws of authority at that time.

16.00 USE OF FLATS

The flat shall not be used for any other purpose except residential byte allottee.

17.00 OTHER IMPORTANT NOTICES

17.10 Vice Chairman, Ghaziabad Development Authority, reserves the right to amend any terms and conditions of the scheme till the time of allotment and such amendment or amendments shall be acceptable and binding on the applicants/allottees.

17.20 Area of flats shown in table-1 may change at the time of actual Possession of the scheme. Changed area, will be acceptable to the allottee and payment shall be made accordingly.

17.30 Decision of the Vice-Chairman, Ghaziabad Development Authority will be final in every matter regarding this scheme.

17.40 Ghaziabad courts shall have exclusive jurisdiction in case of any disputes.

Vice-Chairman
Ghaziabad Development Authority

आवेदन पत्र भरने के लिए मार्गदर्शन सिद्धान्त

1. आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर आवेदकों द्वारा स्वयं अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा जिसे आवेदक द्वारा नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर किसी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा सब रजिस्ट्रार कार्यालय से पंजीकृत कराकर जिसे विशेष अटोर्नी अधिकार दिया गया हो, किया जाना चाहिए ऑनलाइन आवेदन के मामले में हस्ताक्षर अपलोड करना होगा।
2. आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र के कोड आदि 1,2,3,4,5,6 आदि भरने के लिए भारतीय संख्याओं के अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। केवल इस प्रकार भरे हुए कोड नं. को ही अभिलेखों में लिया जाएगा।
3. इन आवेदन पत्रों को एक कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा प्रोसिस किया जाएगा। अतः इन फार्मों को केवल अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही भरा जाना चाहिए। तथापि उस पर हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किए जा सकते हैं।
4. विभिन्न मदों के कोड नं. स्कीम ब्रोशर में दिए गए हैं।
5. अधूरे/अवैध/अपठनीय आवेदन पत्रों को रद्द कर दिया जायेगा। इस संबंध में कोई भी पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।
6. एक खाने में केवल एक वर्ण (अक्षर अथवा अंक) ही भरें।
7. नाम/पता के लिए प्रत्येक दो शब्दों के बीच में एक खाना खाली छोड़ें।
8. आवंटी द्वारा भविष्य में किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन संख्या, योजना कोड एवं सम्पत्ति कोड अवश्य लिखना चाहिए। जब तक आवेदक को सम्पत्ति कोड नहीं मिलता है फार्म की क्रम संख्या लिखी जा सकती है।
9. डाक पते में हुए किसी भी परिवर्तन की सूचना परिवर्तित पते का पहचान पत्र/निवास प्रमाण पत्र सहित गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को तत्काल दी जानी चाहिए।

10.00 आवेदन पत्र भरने के लिए मदवार ब्यौरा नीचे दिया गया है।

10.01 मद 1: **योजना का नाम** पूर्ववत अंकित है।

10.02 मद 2 : **योजना कोड** : योजना कोड आवेदन फार्म में पूर्ववत ही अंकित है।

10.03 मद 3 एवं 4 : **सम्पत्ति कोड एवं सम्पत्ति श्रेणी** : आवेदन फार्म में स्वयं भरें।

10.04 मद 5, 6, 7, 8 एवं 9 : **नाम, पिता/पति का नाम, पता, पिनकोड, पैन नं., आयु, ई–मेल एवं दूरभाष नं.:** :ये स्वयं सुस्पष्ट हैं।

10.05 मद–10: **आयु:** इस मद में आयु वर्षों में लिखें उदाहरणार्थ 32 वर्ष ।(किसी एक वर्ष का कोई अंश न लिखा जाए।)

GUIDELINES FOR FILLING UP THE APPLICATION FORM

1. The application from must be signed by the applicant(s), or by a person duly authorised by a special power of attorney should be on a Non-Judicial Stamp Paper duly attested by a First Class Magistrate or registered in Sub- Registrar's office. In case of online application signature should be uploaded.
2. The Applicant(s) should use only international form of Indian numerals in the filling of the application form for writing the codes e.g. 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc. Only the code number as thus filled-in will be taken into account.
3. The application forms are processed by a computerised system. Hence, these forms should be filled-in ENGLISH BLOCK LETTERS. Only the signature(s) may, however, be in any language.
4. Code Number for various items are given in the scheme brochure.
5. Incomplete/Invalid/Illegible applications are likely to be rejected. No correspondence in this regard shall be entertained.
6. Write only one character (alphabet or digital) in one block.
7. For Name/Address, leave one blank space in a block between any two words.
8. In all future correspondence Applications No. Scheme Code 7 property Code should be quoted. However, Form Sl. Number may be quoted till Allottee's Code is not received.
9. Any change in mailing address should be informed immediately to the Ghaziabad Development Authority with the proof of changed Voted I-card/Residential Certificate.

10.00 Item wise details for filling the application form are given below:

10.01 **Item-1 : SCHEME NAME :** Scheme name already filled in application form

10.02 **Item-2 : SCHEME CODE :** Scheme code already filled in application form

10.03 **Items – 3 & 4: PROPERTY CATEGORY and PROPERTY CODE:** Self fill in the application form

10.04 **Items – 5,6,7,8 & 9: NAME, FATHER'S/HUSBAND'S Name, ADDRESS, PIN CODE, PAN NO., DATE OF BIRTH, E-MAIL and TELEPHONE NO.:** These are self explanatory.

10.05 **Item-10 GAE:** Fill AGE IN the column (in years only)i.e. 32. No fraction of a year should be mentioned.

10.06 मद–11: **लिंग:** इस मद में नीचे दिये गये अक्षरों में से कोई एक जो आप पर लागू हो भरें। यह सूचना केवल प्रथम नाम/एकल आवेदक के संदर्भ में होनी चाहिए।

पुरुष के लिए–एम, महिला के लिए एफ, अन्य (कम्पनियों) के लिए ओ

10.07 मद–12: **वैवाहिक स्थिति** : इस मद में नीचे दिये गये अक्षरों में से कोई जो आप पर लागू हो भरें।

विवाहित के लिए–एम

अविवाहित के लिए –एस

विधवा/विधुर के लिए–डब्ल्यू

अन्य (कम्पनियों आदि) के लिए–एन

10.08 मद–13 : **व्यवसाय कोड** : यह तालिका 2 में दिया गया है।

10.09 मद–14 : **कोटा कोड** : जैसा कि अनुच्छेद 9.00 में विवरण दिया गया है जिसके अनुसार आवेदकों को आरक्षण सुविधा दी गई है। कृपया अपनी आरक्षित श्रेणी आरक्षित वर्ग में आते है तो केवल वहीं कोड लिखें जिसमें आप रहना चाहते है। जैसा कि नीचे दिये गया है, कोटा के विरुद्ध आवेदन करने हेतु समुचित प्रमाण प्त्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर सफल होने पर उपलब्ध कराना होगा सभी प्रमाण–पत्र आवेदन तिथि समाप्त से पूर्व के तथा 6 माह से अधिक पुराना नही होना चाहिए अन्यथा आपका आरक्षण निरस्त कर दिया जाएगा।

क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पिछड़े वर्ग एवं स्वतंत्रता सेनानी के आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र सफल होने पर उपलब्ध कराना होगा।

ख) मद सं 15 व 16– इस श्रेणी के आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र सफल होने पर उपलब्ध कराना होगा।

10.10 मद–17 : भुगतान योजना कोडः भुगतान योजना कोड़ में किस्तों में भुगतान हेतु 03 भरें एवं एकमुश्त भुगतान हेतु 01 भरें।

10.11 मद–18 : **आय कोड** : कृपया आय कोड़ 01 भरें।

10.12 मद–19 : **वार्षिक आय** : यहां आवेदकों एवं उसके परिवार की कुल वार्षिक आय भरें।

10.13 मद–20,21,22 एवं 23 : ये सभी मदें अपने आप मे सुस्पष्ट हैं।

11.00 आवेदक के हस्ताक्षरः ये स्वयं सुस्पष्ट हैं। बिना हस्ताक्षर किया हुआ आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा ऑनलाइन के मामले में हस्ताक्षर अपलोड करना होगा।

12.00 योजना की अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्र में पते के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार का परिवर्तन अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Item- 11 SEX: Fill one of the following alphabets as applicable in your case against this column. The information should be with reference to the first named of sole applicant only.

'M' FOR Male for Female 'O' for others (Such as companies etc.)

10.07 **Item-12 MARITIAL STATUS :** Fill one of the following alphabets as applicable in your case against this column.

M for married

S for unmarried

W for Widow/ Widower

N for others (such as companies etc.)

10.08 **Item-13 :OCCUPATION CODE:** These are given in Table-2

10.09 **Item-14: QUOTA CODE:** Some categories of applicants will be given reservation facility as per details given in clause 9.00. Please fill the quota category belonging to your reserved class. If you belong to more than one reserved category fill only that quota code in which you want to put yourself. after draw the successful applicants must provide certificates issued before the last date of receiving older 6 moths from competent authority as mentioned below for your getting reservation against quota otherwise your registration will be treated as cancelled and will not be included in the draw.

a) Applicants under the category of scheduled Caste/Scheduled Tribe/Backward Classes and Freedom Fighter should attach certificates issued by competent authority.

b) **Item No. - 15 & 16 -** Applicants of these categories should attach certificates issued by competent authority.

10.10 **Item - 17:PAY PLAN CODE :** Please fill up 03 in pay plan for installment and 01 in One-Time Payment Plan.

10.11 **Item - 18: INCOME CODE:** Please fill up 01 in income code.

10.12 **Item - 19: ANNUAL INCOME :** Here fill up total annual income of the applicant (S) and his/her family.

10.13 **Item - 20, 21, 22 and 23:** All these items are self explanatory.

11.00 **ALLOTTEE'S SIGNATURE:** This term is self explanatory. Unsigned application form is liable to rejection. In case of online application applicant signature should be uploaded

12.00 No request in change of contents of application form shall be entertained after the closing date of scheme except change in address.

भवनों की तालिका संख्या 1

क्र. सं0	योजना का नाम	योजना कोड	सम्पत्ति श्रेणी	सम्पत्ति कोड	भवन का आच्छादित क्षेत्र (वर्ग मी.)	भवनों का अनुमानित मूल्य (₹ लाख में)	पंजीकरण राशि (₹ 50/- पंजीकरण शुल्क सहित)		भवनो की कुल सं.
							राज्य सरकार द्वारा घोषित आरक्षित श्रेणी हेतु (₹)	अन्य सभी आवेदकों हेतु (₹)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	मधुबन बापूधाम में EWS योजना चार मंजिले	859	EWS	41D	30.72	5,40,000.00	10,050.00	20,050.00 / –	103

नोट :

1. तलों के लिए कोई वरीयता नहीं है।
2. लाटरी एक साथ सभी तलों के भवनों को मिलाकर डाली जाएगी।
3. भवनों की संख्या घट/बढ़ सकती है।

FLATS TABLE NO. 1

	Scheme Name	Scheme Code	Property Category	Property Code	Covered Area of Flats	Estimated Costs of Flats (Sq. Mtr.)	Registered Money (₹ 50/- Registration Charges)		Total No. of Flats
							Reservation categories declared by the State Govt. (₹)	For all other applicants (₹)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Madhuban Bapudham EWS SCHEME F/Storey	859	EWS	41D	30.72	5,40,000.00	10,050.00	20,050.00 / –	103

Note:

1. There is no priority for floor-wise.
2. The lottery will be drawn for flats on floors together.
3. The numbers of flats may increase or decrease.

तालिका–2 : आजीविका एवं उनके कोड

TABLE-2: OCCUPATION & THEIR CODES

आजीविका का विवरण Description of Occupation		आजीविका का कोड Occupation Code
SERVICE	**सेवा**	
Service in State / Central Govt.	राज्य / केंद्रीय सरकार में सेवा	10
Service in Public Sector	सार्वजनिक क्षेत्र में सेवा	11
Service in Private Sector	निजी क्षेत्र में सेवा	12
Service in Armed Forces	सशस्त्र सेनाओं में सेवा	13
Service in Schools	विद्यालयों में सेवा	14
Service in College/University	महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों में सेवा	15
Domestic Service	घरेलू सेवा	16
Other Service	अन्य सेवा	17
BUSINESS	**व्यवसाय**	
Traders	व्यवसायी	20
Business Executive/Director	व्यवसाय कार्यकारी / निदेशक	21
Business Owner	व्यवसाय स्वामी	22
Industrialist	उद्योगपति	23
Other Business	अन्य व्यवसाय	29
AGRICULTURE	**कृषि**	
Agriculturist	कृषक	30
Farmer	किसान	31
Agriculture Labourer	कृषि मजूदर	32
SELF EMPLOYED	**स्वतः रोजगारी**	
Self Employed Doctor	स्वतः रोजगारी डॉक्टर	40
Self Employed Engineer	स्वतः रोजगारी इंजीनियर	41
Self Employed Advocate	स्वतः रोजगारी एडवोकेट	42
Self Employed Chartered Accountant	स्वतः रोजगारी चार्टर्ड एकाउन्टेंट	43
Self Employed Vendor	स्वतः रोजगारी विक्रेता	44
Self Employed Agents	स्वतः रोजगारी एजेंट	45
Other Self Employed Persons	अन्य स्वतः रोजगारी व्यक्ति	49
DEPARTMENT / FIRM	**विभाग / फर्म**	
Govt. Department	सरकारी फर्म	50
Govt. Undertaking	सरकारी निकाय	51
Limited / Pvt. Ltd. Company	लिमिटेड / प्रा. लि. कम्पनी	52
Partnership Firm	साझेदारी फर्म	53
Charitable Institution	धमार्थ संस्था	54
Other Department / Firm / Institution	अन्य विभाग / फर्म / संस्था	59
OTHER	अन्य	
Occupation not covered by above	उपर्युक्त से पृथक आजीविकाएं	98

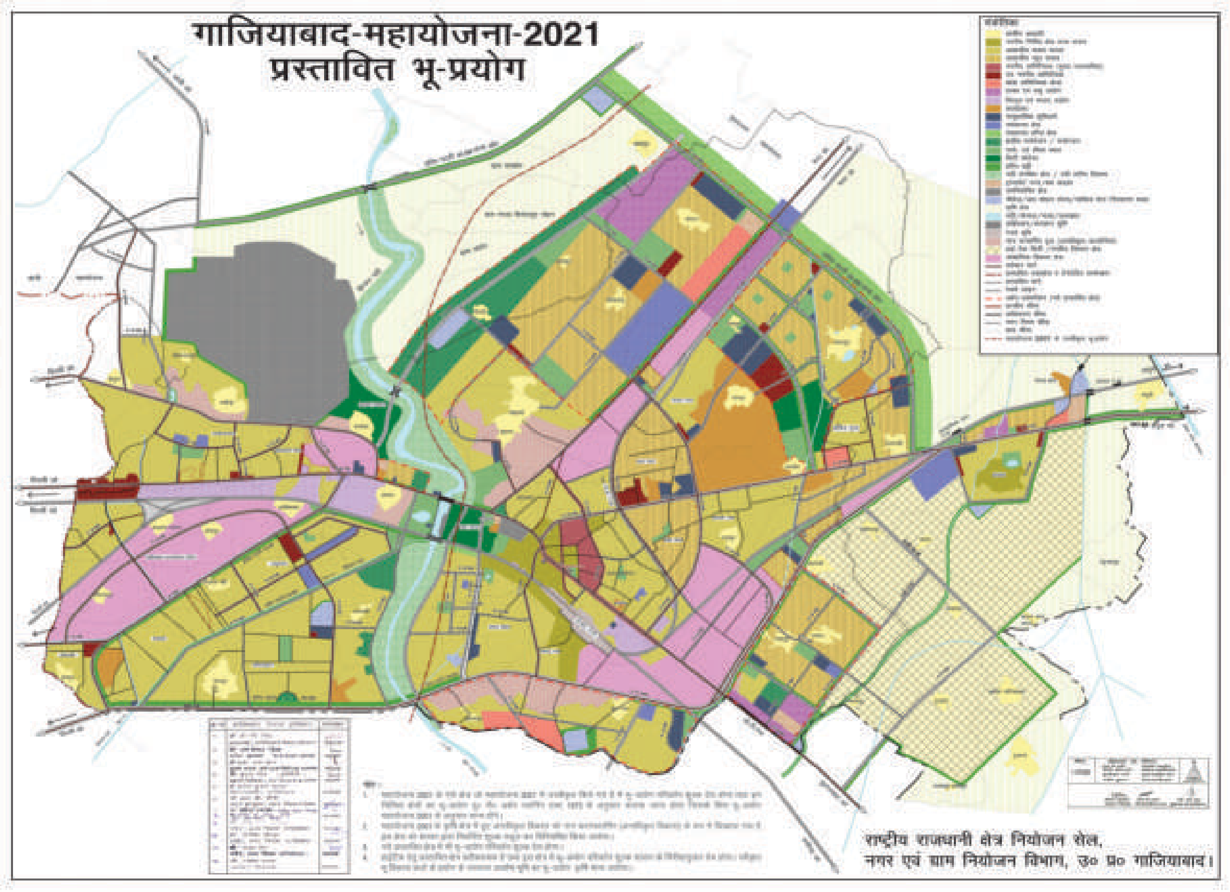

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

I.S.O. 9001-2015 एवं I.S.O. 14001-2015 प्रमाणित संस्था
विकास पथ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
हेल्पलाइन न.: 0120-3342433 एस.एम.एस.: 9818988807
ई-मेल : helplinegda@gmail.com :@gdagzb :@gdagzb

एक सुन्दर शहर....................हमारा संकल्प